ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Immigration Reform Bill discussion in US Congress

*401. SHRI VIJAY J. DARDA:
SHRIMATI MOHSINA KIDWAI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that an Immigration Reform Bill is likely to be discussed in the US Congress which may raise the hope of an increase in employment based immigration visas and temporary skilled workers' visas; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ANAND SHARMA): (a) The US House of Representatives and Senate have passed a version of legislation amending the US Immigration and Nationality Act in December, 2005 and May, 2006 respectively. The final text of the legislation has yet to emerge from the conference process that would reconcile the two versions as per American legislative process.

(b) While there are provisions related to employment based visas in the version passed by the Senate, it is premature to comment on final outcome as the legislative process is ongoing.

श्री विजय जे॰ दर्डा: सभापति जी, अभी अमरीका में हजारों ऐसे भारतीय नागरिक हैं, जो बिना immigration status के काम कर रहे हैं तथा कुछ ऐसे लोग हैं, जो बचपन में अपने रिश्तेदारों के साथ गए थे, लेकिन कुछ कारणवश उनका immigration status समाप्त हो गया है। ऐसे लोग वहां पर लगातार security agencies द्वारा harass किए जा रहे हैं या कंपनियों द्वारा exploit किए जा रहे हैं। क्या आने वाले बिल में इन लोगों को राहत मिलने की संभावना है, अगर नहीं है, तो क्या सरकार उनको ससम्मान वापस लाने के बारे में सोच रही है? क्या भारत सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि कितने लोग अमरीका में working visa लेकर काम कर रहे हैं या उनका immigration status समाप्त हो चुका है तथा कितने ऐसे भारतीय हैं, जो illegal immigrants घोषित हो चुके हैं तथा जिन्हें deport किया जाना है? क्या नए बिल के आने के बाद family visa संभव हो सकेगा? Working visa की validity जो अभी 6 साल की है, वह 10 साल की हो सकेगी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप question कर लीजिए?

श्री विजय जे॰ दर्डा: सभापति जी, मैं question ही कर रहा हूं। मैंने question ही किया है।

श्री सभापति: यदि इतना लंबा question होगा, तो 5 questions ही हो पाएंगे।

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, अमरीकी कांग्रेस के सामने दोनों सदनों ने वहां पर जो Immigration Reforms Bill पास किया है, यह उससे

* Not recorded.

संबंधित है, न कि illegal immigrants से संबंधित है। यह सही है कि दोनों सदनों ने वहां एक विधेयक पारित किया है, लेकिन अभी उसका अंतिम स्वरूप सामने नहीं आया है। जो House of Representatives का बिल है, जो उन्होंने पारित किया है, उसमें नए immigration के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं और कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे वहां पर Visa में बढ़ोत्तरी हो। जो सीनेट का बिल है, Senate version of the Bill, उसमें जरूर यह प्रावधान है विशेष कर H2C Category उन लोगों के लिए कायम की गई है, इसमें दो लाख visas हैं, पूरी दुनिया से जो लोग वहां पर आते हैं, एक साल के लिए स्थाई रूप से visa देने की। जहां तक इस पर हमारी प्रतिक्रिया का प्रश्न है, अभी जब तक उसका अन्तिम स्वरूप नहीं आता, हम यह नहीं कह सकते कि उसका कितना लाभ भारत के नागरिकों को मिलेगा। जहां तक हमारे वे नागरिक, जो वहां पर रह रहे हैं, जिनका अपॅे समाप्त हो गया है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उनको हर तरह का सहयोग देने के लिए हमारी मिशंस को हिदायत है। मैं माननीय सदस्य को यही आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे भारतीय नागरिकों को हमारे दूतावास के माध्यम से, हमारे कंसुलेट जनरल के माध्यम से, हर तरह से सहयोग मिलता है।

श्री विजय जे॰ दर्डा: सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 9/11 के पश्चात् अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, वहां पर कुछ समय पहले compulsory registration शुरू किया गया था, जिसमें सारे immigrants का registration हुआ है? लोगों ने यह सोचा कि registration के बाद उनके problems समाप्त हो जाएंगे, किन्तु वहां पर यह देखा जा रहा है कि जो एशियन कम्युनिटी के लोग हैं और उनमें से कुछ विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उनका सिक्योरिटी के नाम पर काफी harassment भी हो रहा है। वहां वर्किंग क्लास के ऐसे हजारों लोग हैं, जो visa लेकर गए हैं उनका visa भी cancel कर दिया गया है। इस दृष्टि से क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है, जिसकी वजह से मजहब के आधार पर लोगों को वहां तकलीफ नहीं हो और वहां पर जो करीब-करीब 18,000 एशियन लोग हैं, उनको वहां से deport कर दिया गया है? इसके बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने स्थिति पेचीदा कर दी है। उनका जो मुख्य प्रश्न था, व केवल उस विधेयक से संबंधित है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय जे॰ दर्डा: मैं ऐसा मानता हूं कि Reform Bill का असर उस पर होना है।

श्री आनन्द शर्मा: जो नया कानून अमेरिका की कांग्रेस लाने जा रही है, उस विधेयक के द्वारा जो visas देने हैं - H1, H1B Category, L1 Category, केवल वहीं तक सीमित है। 9/11 के बाद वहां जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसके आंकड़े क्या हैं, वे मेरे पास नहीं हैं। जैसा मैंने पहले कहा, जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय जे॰ दर्डा: आपके पास आंकड़े क्यों नहीं हैं?

श्री आनन्द शर्मा: माननीय सभापति महोदय, अमेरिका के अन्दर वहां पर वहां की इंटर्नल एजेंसीज क्या कार्रवाई कर रही हैं, कितने लोग deport हुए हैं, वे आंकड़े नहीं हैं ओर न ही माननीय सदस्य ने इसे मांगा है। यह प्रश्न केवल अमेरिकी कांग्रेस में जो नया कानून बन रहा है, उससे सम्बन्धित हैं। मैंने पहले स्पष्ट किया है जो भी भारतीय नागरिक हैं, अगर वे किसी ऐसी कठिन

परिस्थिति में हैं, जिनका visa समाप्त हो गया हो या जिन्हें वहां पर अवैध रूप से illegal immigrants घोषित किया गया हो, उनको हमारे दूतावास पूरी तरह से सहयोग, सुविधा देंगे।

श्रीमती मोहसिना किदवई: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि यह जो immigration Reform Bill US Congress में डिसकस हुआ है, क्या उसके बारे में हमारी सरकार ने कोई assessment किया है कि इस बिल के आने से, हमारे जो लोग वहां पर B1, H1B visa या temporary visa पर जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा?

दूसरी बात यह है कि वहां जो इंडियंस काम कर रहे हैं, जो temporary visa पर जाते हैं, या H1B visa पर जाते हैं, वे लगभग 1 बिलियन डॉलर yearly वहां की social security के लिए खर्च करते हैं। वे हर साल 1 बिलियन डॉलर social security के लिए देते हैं। कायदा यह होता है कि जब वे वापस आएं, तो social security में जो पैसा उनसे लिया जाता है, उनका वह पैसा उन्हें वापस मिले, लेकिन उसमें अकसरियत ऐसी है कि उनको उसका कोई benefit नहीं मिलता। सभापति जी, NASCOM के तहत, उसकी रिपोर्ट है कि हमारे जो IT Professionals वहां काम कर रहे हैं, वे लगभग 600 मिलियन डॉलर हर साल US Govt. को देते हैं, लेकिन जब वे वापस आते हैं, तो उन्हें उसका कोई लाभ नहीं मिलता।

आप ने अपने जवाब में कहा है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि क्या वह विधेयक आएगा, तो मैं समझती हूं कि यह सब से मौजू टाइम है, सब से प्रॉपर टाइम है क्योंकि हमारे हजारों-लाखों भारतीय वहां काम कर रहे हैं और जो दिक्कतें उन के सामने आ रही हैं, क्या ये सारे इश्यूज हमारी गवर्नमेंट ने यू॰एस॰ गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किए हैं?

†[محترمہ محسنہ قدوائی : ماشیے سبھاپتی جی، میں ماشیے منتری جی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو immigration Reform US Congress میں ڈسکس ہوا ہے، کیا اس کے بارے میں ہماری سرکار نے کوئی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اس بل کے آنے سے، ہمارے جو لوگ وہاں پر B1, H1B visa یا temporary visa پر جو کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑیگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو انڈینس کام کر رہے ہیں، جو temporary visa پر جاتے ہیں یا H1B visa پر جاتے ہیں، وہ لگ بھگ 1 بلین ڈالر yearly وہاں کی سوشل سکیورٹی کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ہر سال 1 بلین ڈالر سوشل سکیورٹی کے لئے دیتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ

†[ ] Translitration in Urdu scripts

واپس آئیں، تو سوشل سکیورٹی میں جو پیسہ ان سے لیا جاتا ہے، ان کا وہ پیسہ انہیں واپس ملے، لیکن اس میں اکثریت ایسی ہے کہ ان کو اس کا کوئی بینفٹ نہیں ملتا۔ سبھاپتی جی، NASCOM کے تحت، اس کی رپورٹ ہے کہ ہمارے جو IT Professionals وہاں کام کر رہے ہیں، وہ لگ بھگ چھ سو بلین ڈالر ہر سال یو ایس گورنمنٹ کو دیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں، تو انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔

آپ نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ابھی آخری فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ کیا وہ ووٹیک آئے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے موضوع ٹائم ہے، سب سے پراپر ٹائم ہے کیوں کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں بھارتی وہاں کام کر رہے ہیں اور جو وقتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ سارے ایشوز ہماری گورنمنٹ نے یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کئے ہیں؟ †[ ]

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में बताया कि जब इस का अंतिम स्वरूप सामने आएगा, तब हम इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि इस से भारत के वे नागरिक जो अमेरिका काम करने के लिए जाना चाहते हैं और जो वीजा के लिए दरख्वास्त देते हैं, उन को इस का क्या लाभ मिलेगा। महोदय, सीनेट के बिल में एक नया प्रावधान जरूर है। दो लाख टेंपरेरी वीज़ा एच 2-सी कैटेगरी के अंदर जिसे ब्लू कार्ड बुक कहते हैं कि पेश्कश सामने है। जब दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए विधेयकों का मिश्रण होगा तभी हम उस पर कह सकते हैं। जहां तक भारत के नागरिकों का सवाल है, सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि सरकार समय-समय पर यह बात अमेरिकी प्रशासन से उठाती है। मैं एक बात और कहूंगा कि 65 हजार वीजा वह एच-1 बी के और 20 हजार उन्होंने और उन लोगों के लिए कायम किए हैं जो अमेरिका के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, उस का अधिकांश लाभ हमारे भारतीय छात्रों को मिला है।

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि जो अमेरिकन नेशनल्स हमारे यहां काम कर रहे हैं, उन को हक है कि अगर वे अपना जॉब चेंज करें या कंट्री से बाहर चले जाएं तो वह अपना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन विद्ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसी ही सुविधा हमारे भारतीयों को भी मिले। आप इस वक्त जो वीजा की बात आप कर रहे हैं, मैं भी उसी वीज़ा की बात कर रही हूं और ये सारी परेशानियां एच-1बी वीजा और टैम्परेरी वीज़ा लेकर जाने वालों के लिए हैं। तो मैं आप से यह अर्ज कर रही थी कि 20 लाख हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनकी सेलरी का 20 परसेंट हिस्सा सोशल सेक्युरिटी के नाम पर जाता है और उन को बेनेफिट कुछ नहीं मिलता है। सभापति महोदय, मैं समझती हूं कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह उन लाखों भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे वे अपने को सुरक्षित महसूस करें और उन्हें फाइनेंसियल प्रॉब्लम्ब न हो पाएं।

†[ ]Translitration in Urdu scripts

†[محترمہ محسنہ قدوائی: سبھا پتی جی، میں مانئے منتری جی سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو امریکن نیشنلس ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، ان کو حق ہے کہ اگر وہ اپنا جاب چینج کریں یا کنٹری سے باہر چلے جائیں تو وہ اپنا پرووژینٹ فنڈ کنٹریبیوشن وڈرا کر سکتے ہیں، تو ایسی ہی سودھا ہمارے بھارتیوں کو بھی ملے۔ آپ اس وقت جو ویزا کی بات کر رہے ہیں، میں بھی اسی ویزا کی بات کر رہی ہوں اور یہ ساری پریشانیاں ایچ-1 بی ویزا اور ٹیمپرری ویزا لے کر جانے والوں کے لئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ 20 لاکھ ہندوستانی ایسے ہیں جن کی سیلری کا 20 فیصد حصہ سوشل سیکورٹی کے نام پر جاتا ہے اور ان کو بینفٹ کچھ بھی نہیں ملتا۔ سبھاپتی مہردے، میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لاکھوں بھارتیوں کے ہت کو دھیان میں رکھ کر کوئی ایسا قدم اٹھائے، جس سے وہ اپنے کو سرکشت محسوس کریں اور انہیں فائننشل پرابلم نہ ہو پائیں۔]†

श्री आनंद शर्मा: सभापति, महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर भारतीय नागरिकों को किसी तरह की कठिनाई सामने आती है तो हमारा दूतावास, हमारा कान्सुलेट उन की पूरी इम्दाद करते हैं। जहां तक वहां की सोशल सेक्युरिटी कंट्रीब्युशन का प्रश्न है, हर देश के अपने कायदे-कानून और नियम होते हैं। अगर कहीं ज्यादती होती है और हम देखते हैं कि हमारे नागरिकों को उन का अधिकार नहीं मिला तो उस बात को समय-समय पर प्रशासन के सामने रखा जाता है।

श्री सभापति: इस में एक मेरा प्रश्न है, यह बिल आने के साथ ही क्या भारत सरकार की ओर से इस बात का assessment किया गया है कि वहां काम करने वाले लोगों के सामने क्या-क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं?

श्री आनन्द शर्मा: सभापति जी, उस का assessment किया गया है। यह बिल केवल वीज़ा के लिए सीमित है और इस में जैसा कि मैंने पहले कहा जो हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स का बिल है, उस में उन्होंने सख्त शर्तें लगायी हैं और सीनेट के बिल में थोड़ी ऐसी गुंजाइश है जिस का पूरी तरह से अध्ययन किया गया है। महोदय, उस पर हम टिप्पणी करेंगे जब उस का अंतिम स्वरूप आएगा।

श्री अमर सिंह: धन्यवाद, सभापति महोदय, जो प्रश्न मैं पूछना चाहता था, वह कृपा पूर्वक आप ने पूछ लिया, लेकिन अमेरिकन सेनेट में Immigration bill पर अप्रैल, 2006 में विरोध में 60 मत पड़े और 38 पक्ष में पड़े थे। इस परिप्रेक्ष्य में मैं विशेष जानकारी चाहूंगा कि जो प्रवासी भारतीय हैं वे कितने हैं, क्या उन की संख्या की सूची आप के मंत्रालय के पास है जो undocumented हो, जो

†[ ]Translitration in Urdu scripts

5 साल से ऐसे हैं, और जो अमेरिका में स्थाई प्रवास के लिए/लीगल स्टेटस के लिए प्रतीक्षारत हैं?

श्री आनन्द शर्मा: सभापति, महोदय, जो प्रश्न किया गया है, वह अमेरिका के दोनो सदनों के अंदर जो नया कानून वीज़ा के लिए बनाया जा रहा है, उससे संबंधित है। अगर माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया होता या जानकरी मांगी होती, तो हम वे आंकड़े भी प्राप्त करके उनको दे देते। यह प्रश्न उससे संबंधित नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी भारतीय नागरिक इस तरह के कष्ट की परिस्थितियों में आते हैं, जब उनको दिक्कत आती है, तो हमारे consulates को हमारी embassies को यह standing instructions हैं कि वे उनकी मदद करें। लेकिन जहां तक मैंने कहा, यह स्पष्ट है कि अगर आप प्रश्न को पढ़ें कि इस प्रश्न में क्या जानकारी मांगी गई है, तो वह पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं।

श्री सभापति: ठीक है। हो गया।

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: सर, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि हर देश के अपने-अपने कानून होते हैं और वे अपने नियमों के मुताबिक चलते हैं। मगर सवाल यह है, जो श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने सवाल किया था और जिसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया कि क्या जो अमेरिकंस यहां काम कर रहे हैं, उनके लिए और जो हमारे लोग हैं, उसमें कोई reciprocity के बारे में आपने सोचा है कि ये दोनों को बराबर का हक मिले? अगर वहां इंडियंस को Provident Fund नहीं मिलता है, तो हम अमेरिकन नेशनल्स को Provident Fund ले जाने की इजाजत क्यो देते हैं? Reciprocity क्यों नहीं है?

श्री आनंद शर्मा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य को संसदीय प्रणाली का एक लंबा अनुभव है। अगर वे प्रश्न को पढ़ें, तो इस प्रश्न का कहीं दूर से भी आपके सवाल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में जो कानून बन रहा है, जिससे नए regulations Visas देने के लिए लाएंगे, उससे संबंधित है। आपने जो Provident Fund की बात उठाई है और माननीय श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने जो social security contribution की बात उठाई, तो जैसा हमने कहा कि इस पर हम वहां के प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे और जो बात आपने कही है, उसका संबंध जिस मंत्रालय से है, वह इस पर गौर करेगा।

श्री वी० हनुमंत राव: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग एच-1 वीज़ा से जा रहे हैं, वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एच-1 वीज़ा देकर, यहां से जो लड़के जाएंगे, तो वे 60 परसेंट लेकर इनको 40 परसेंट पैसा दे रहे हैं। यह मंत्री जी को पता है या नहीं है? वहां पर ऐसे ऑगेनाइजेंशस हैं, जिनमें नौजवान वहां जाकर सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। उनसे वे 60 परसेंट ले लेते हैं और उनसे डे-नाइट काम करा लेते हैं। यह उनको पता है या नही। जरा यह मालूम हो जाए।

श्री सभापति: आपको पता है या नहीं...(**व्यवधान**)...

श्री आनंद शर्मा: सभापति महोदय, आम तौर पर हमारे जो नागरिक वहां एच-1 बी और एल-1 कैटेगरीज में वीज़ा प्राप्त करके जाते हैं, उनको वहां पर जिन कंपनीज़ में रोज़गार दिया जाता

है, वे वहां के प्रतिष्ठित संस्थान और कम्पनीज़ होते हैं। कई बार यह बात ध्यान में जरूर आई है कि इस तरह की भी कुछ बातें हुई हैं कि तनख्वाह की जो पेशकश की गई हों, वहां पर जाने के बाद अगर उतनी न मिली हो, तो जब भी इस तरह की कोई बात सामने आती है, उसको हमारे दूतावास और हमारे कंस्युलेट्स उठाते हैं....(व्यवधान)...

श्री वी० हनुमंत राव: कुछ नहीं करते है, सर। कुछ नहीं करते हैं ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: देखिए, जहां तक सवाल है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है....(व्यवधान)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Many people have made representations. There is nothing of that sort.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, if I may, just for the benefit of this House, say one thing those people, who go to take up employment, are issued visas; their applications are scrutinized here. And, it is then the responsibility of the employing agency, for the company, to abide by the conditions, and there are legal provisions that are available to such people if they are denied what they are assured. That would be the position.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, we are discussing about the Immigration Reform Bill of the USA. Here it is pertinent to talk about the United Kingdom. The Government of UK has banned the recruitment of nurses from India. Is the hon. Minister aware of that? Thousands of nurses are ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: That is a different question. There is no need for a reply.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, the hon. Minister may give a reply ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: He may reply anything ...(*Interruptions*)... but I won't allow him. I am neither going to allow you, nor would I allow the Minister to reply. Next question, Q.No. 402.

Competitive edge to post offices

*402. SHRI THANGA TAMIL SELVAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state: